"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014—वैशाख 26, शक 1936

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2014

प्र. क्र. / /ब-113 (1)/वर्ष 2013-14

क्रमांक/ /अ.वि.अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक हाफिज अब्दुल गफ्फार निवासी मदरसा जामेअतुल आयशा निस्वां मंदनी चौक, संजय नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर ने "जामेअतुल आयशा निस्वां ट्रस्ट" मंदनी चौक, संजय नगर रायपुर तहसील व जिला रायपुर का छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूची हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 26-05-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"जामेअतुल आयशा निस्वां ट्रस्ट" मंदनी चौक, संजय नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 11-04-2014 को जारी.

ए. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/385.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/95/1750 दिनांक 24-6-1995 के तहत् साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या. निरतुकछार पं. क्र. 762 दिनांक 15-03-59 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्री जी. पी. बिन्द, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या. निरतुकछार पं. क्र. 762 दिनांक 15-03-59 विकासखण्ड तखतपुर, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/386.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1028/दिनांक 15-5-2008 के तहत् लोक सेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. एन.ई. कालोनी बिलासपुर पं. क्र. 3487 दिनांक 23-06-92 विकासखण्ड बिल्हा ज़िला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत लोक सेवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. एन.ई. कालोनी बिलासपुर, पं. क्र. 3487 दिनांक 23-06-92 विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)

क्रमांक/परि./2014/387.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1430/दिनांक 09-10-2006 के तहत् बाल्मीकी बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा, पं. क्र. 2117 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं उमेश तिवारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ.ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के तहत बाल्कीकी बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. टिकरापारा, पं. क्र. 2117 दिनांक .... विकासखण्ड बिल्हा, जिला-बिलासपुर का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 31-01-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 21 फरवरी 2014

क्रमांक/उपंबा./परि./2014/82.—परिसमापित माँ शीतला आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गैंजी पं. क्र. 2956 दिनांक 06-12-2010 विकासखंड डौंडी लोहारा जिला बालोद को पुनर्जीवित करने हेतु परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 06-02-2014 अनुसार संस्था के सदस्यों की विशेष आमसभा दिनांक 27-12-2013 के संकल्प क्र. 02 में संस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है. संस्था में कुल 30 सदस्य हैं वर्तमान में सदस्यों द्वारा कपड़ा बुनाई का कार्य कर जीवनयापन किया जा रहा है.

अत: परिसमापक की अनुशंसा एवं सदस्यों को रोजगार प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए मैं जॉन खलखो उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बालोद सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के अंतर्गत छ.ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/5/6/79/[illegible] दिनांक 27-08-1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मां शीतला आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या. गैंजी पं. क्र. 2956 दिनांक 06-12-2010 का पुनर्जीवन करता हूं.

[illegible]

चूंकि संस्था के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है अतः संस्था के कार्य संचालन हेतु श्री पीताम्बर ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी बालोद को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करता हूं.

यह आदेश दिनांक 21-02-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा, दिनांक 20 फरवरी 2014

छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थायें अधिनियम 1960 की धारा 69 (1) के अन्तर्गत

क्रमांक/स.पं.द./परिसमापन/14/40.—कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/स.प.द./परिसमापन/2013/271 दिनांक 26-12-2013 द्वारा माँ दन्तेश्वरी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. दन्तेवाड़ा पं. क्र./DWD/60 दिनांक 07-01-2009 को छ.ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित कर 30 दिवस के भीतर साक्ष्य सहित अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत करने का लेख्य किया गया था. उक्त पत्र के अनुपालन में संस्था के पत्र क्रमांक/108/2013-14 दिनांक 05-02-2014 से प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन एवं परीक्षण किये जाने पर वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

(1) यह कि संस्था विरोधी गतिविधियों में संलग्न होने के कारण संस्था के कार्यवाही विवरण दिनांक 10-09-2013 अनुसार 13 महिला सदस्यों की प्राथमिक सदस्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है, जबकि जांच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है.

(2) यह कि 13 सदस्यों के निष्कासन पश्चात् नये सदस्य बनाये जाने पर संचालक मण्डल में प्रस्ताव पारित किया जाता है जबकि नये सदस्यों को सदस्यता दिये जाने के संबंध में कोई संस्था द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है न ही तथाकथित नवीन सदस्यों से संबंधित प्रवेश शुल्क एवं अंशपूंजी की राशि संस्था में जमा कराये जाने संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है.

(3) यह कि नवीन सदस्य बनाये जाने के स्वाभाविक रूप से प्रवेश शुल्क एवं अंशपूंजी की राशि जमा करायी जाती है जबकि संस्था के बचत खाता क्रमांक 60520005652 में संस्था पंजीयन के समय जमा राशि रुपये 3021-00 में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है.

(4) यह कि संस्था द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान के संचालन में संस्था के बचत खाते में किसी प्रकार का संव्यवहार न करते हुये स्वविवेक से व्यक्तिगत राशि का उपयोग किया जाना प्रमाणित पाया गया है जिसके समर्थन में खाद्य विभाग अथवा आडिटर द्वारा अवगत नहीं कराये जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना बताया गया है जो कि उचित नहीं है.

उपरोक्तानुसार संस्था द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर तथ्योचित प्रमाणिक एवं ग्राह्य योग्य नहीं होने के फलस्वरूप मान्य किया जाना संभव नहीं है. अतः संस्था में व्याप्त अनियमिततायें अधिनियम के विपरीत किये जा रहे कार्यकलाप आदि के आधार पर एतद्द्वारा मैं एल.एल. बृंझ उप पंजीयक सहकारी संस्थायें जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. एवं अतिरिक्त प्रभार सहायक पजीयक सहकारी सस्थायें दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (ग) अनुसार माँ दन्तेश्वरी आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. दन्तेवाड़ा पं. क्र./DWD/60 दिनांक 07-01-2009 को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा 70(1) के प्रावधानानुसार श्री एम. एस. सोरी सहकारी निरीक्षक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी दन्तेवाड़ा को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 20-02-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—20